सप्तदश बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.12.2022 के लिए मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री चन्द्रहास चौपाल, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०	राज्य सरकार के कड़े खनिज नियमावली, 2019 लाईसेंसिंग नियमों ने स्थानीय बालू-गिट्टी व्यवसाईसों एवं निर्माण उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को बूरी तरह प्रभावित किया है । निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कम पढ़े-लिखे छोटे दुकानदार है, उनके पास लाईसेंस की शर्तों के अनुसार काम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है । उनके यहाँ काम करने वाले हजारों दहाड़ी मजदूर काम बन्द होने से भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं । यह सिस्टम इतना जटिल है कि जो व्यापारी लाईसेंस लिये हैं, वे 3-4 माह से कोई अपने पोर्टल से बालू गिट्टी खरीद-बिक्री नहीं कर पा रहे हैं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (G) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को मूल व्यापार तथा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है जिसका राज्य सरकार के लाईसेंसिंग नियम-56 बिहार खनिज नियमावली, 2019 के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है एवं नियम-77 के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि जनहित में नियमों में बदलाव कर सके । अत: छोटे व्यापारियों एवं असंगठित गरीब मजदूरों के हित में आवश्यक संशोधन कर खुदरा भवन निर्माण सामग्री बिक्रेताओं की लाईसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	खान एवं भूतत्व

-2. श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० श्री फते बहादुर सिंह, स०वि०स० श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स० श्रीमती वीणा भारती, स०वि०स०	राज्य के असर्वेक्षित / टोपोलैण्ड भूमि से संबंधित दिनांक-03.06.2016 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला की कार्यवाही की कंडिका 2 (घ) एवं 3 (ख) के तहत विभागीय पत्रांक-3113, दिनांक-20.07.2017 द्वारा राज्य के असर्वेक्षित / टोपोलैण्ड से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर रोक लगाने हेतु निबंधन विभाग को निर्देश जारी किया गया था । सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक- IV-एम1-35/2016-4087, दिनांक-16.08.2022 द्वारा विभागीय पत्रांक-3113, दिनांक-20.07.2017 को निरस्त कर दिया गया । निर्देश के आलोक में राज्य में असर्वेक्षित / टोपोलैण्ड का निबंधन प्रारंभ हो गया, परंतु असर्वेक्षित / टोपोलैण्ड की निबंधित भूमि का राज्य के किसी भी अंचल में दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है, रेन्ट रशीद नहीं काटे जा रहे हैं । एल०पी०सी० निर्गत नहीं किया जा रहा है । अतः असर्वेक्षित / टोपोलैण्ड की निबंधित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं । **पवन कुमार पाण्डेय** प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/2022- 859 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12/22

(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/2022- 859 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12/22

(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/2022- 859 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12/22

(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/2022- 859 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

14/12/22

(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

14/12/22